सी०जी०एच०एस० के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर्स द्वारा नियमों की अवहेलना

*74. **चौधरी हरमोहन सिंहः**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोलाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि नियमों की अवहेलना करने के दोषी पाये गए सी०जी०एच०एस० के अन्तर्गत अधिकृत मेडिकल स्टोर्स को केवल चेतावनी दी जाती है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी पाये गए मेडिकल सेन्टरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) से (ग) जी नहीं। शिकायतों के गुणावगुण पर प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवाई की जाती है।

Payment made by Bofors

*75. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item that appeared in the 'Hindustan Times' of 1st July, 1995 under the heading "Bofors made payment through benami firm" saying that CBI officials are convinced that the kick-back in the Bofors gun deal was made through a benami company with the acronym CIAO;

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) whether Government agree with the C.B.I. perception that information sought by India was being withheld under pressure of the aforesaid company?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (c) Yes Sir. It is not within the knowledge of CBI so for that any payments from Bofors has been made to a Benami Firm and Government have no reason to disagree with the same.

कंपनियों द्वारा शेयर पूंजी जुटाया जाना

*76. **श्री. सोमपालः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में कुछ कंपनियां बाजार से शेयर पूंजी जुटाने के लिए अपनी वित्तीय और व्यापारिक स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अनियमितताओं के कितने मामले सामने आए हैं और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या शेयर पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ङ) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों का कोई अनुभूतिमूलक अध्ययन नहीं किया गया है जिन्होंने बाजार से शेयर पूंजी को जुटाने के उद्देश्य से अपनी वित्तीय तथा वाणिज्यिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया है। तथापि, जब भी केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आता है कि किसी कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस में झूठा या भ्रामक विवरण दिया है या उसने किसी निवेशक को कपटपूर्वक फुसलाया है तथा इस प्रकार से कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 63 या 68 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो चूक करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध इन उपबंधों के अन्तर्गत अभियोजन शुरु किया जाता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार ने इन धाराओं के अन्तर्गत नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अभियोजन शुरू किए हैं:—